अतिरिक्त विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, कानपुर नगर

पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र पाल सिंह.....एल0एल0एम0 (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(जे.ओ.कोड–UP2648)

दाण्डिक अपील संख्या–80 सन् 2023
C.N.R. No-UPKN01-005809-2023

मो0 हारून किशोर अपचारी उम्र 15 वर्ष पुत्र स्व0 मो0 शाकिर खान द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती परवीन पत्नी मो0 शाकिर खान, निवासी–माडल लाइन ऊँचा टीला, श्विांस टेनरी, जाजमऊ, कानपुर नगर।

.....अपीलार्थी

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल, कानपुर नगर

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–118/2023
धारा– 363, 120 भा0दं0सं0
थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर।

निर्णय

(1) प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 80 सन् 2023 अन्तर्गत धारा 101 किशोर न्याय, बच्चों का देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत न्यायालय विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी/बालक मो0 हारून (घटना के समय उम्र 14 वर्ष 08 माह 10 दिन) जरिये संरक्षक सगी माता श्रीमती परवीन के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, कानपुर नगर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2023 के द्वारा प्रार्थी/विधि विवादित किशोर को जमानत न दिये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने और अपील को स्वीकार कर अभिरक्षा में बन्द विधि विवादित किशोर को उचित धनराशि की प्रतिभू एवं परिवचन के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गयी है।

(2) उक्त अपील में कथन किया है कि अपीलार्थी/विधि विरूद्ध बालक को उपरोक्त मुकदमे में झूठा, गलत व रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विधि विरूद्ध बालक को नामजद नहीं किया गया है। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 28 घण्टे विलम्ब से अंकित करायी गयी जिसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त मुकदमे के पीड़ित की माता श्रीमती रेशमा बानो द्वारा पर्चा नम्बर 1 में अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 में बताया गया है कि ''मैंने अपनी बेटी को किसी

कारवश डांट दिया था जिस कारण नाराज होकर मेरी बेटी कहीं चली गयी है'' जो दर्शाता है कि जब पीड़िता स्वयं अपनी मर्जी से माता की डांट से क्षुब्ध होकर कहीं चली गयी है जो 363 भा0दं0सं0 का अपराध नहीं बनता है। पर्चा नमबर 6 दिनांक 19.03.2023 को किता किया गया है जिसमें अंकित है कि ''मेरी बेटी पीड़िता ''क'' उम्र 17 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चली गयी थी जिस बावत मु0अ0सं0 118/2023 धारा 363 भा0दं0सं0 थाना नौबस्ता में दर्ज कराया गया था। आज दिनांक 22.03.2023 को मेरी बेटी स्वयं वापस आ गयी है।'' उक्त प्रार्थना पत्र में भी कहीं कोई बात अंकित नहीं है कि पीड़िता का किसी ने अपहरण किया था। पीड़िता द्वारा धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में कथन किया है कि ''....मैं और सलमान हारून के दोस्त विक्की के घर गये। मैं लगभग 23 दिन विक्की के घर रही। हारून एक भी दिन विक्की के घर नहीं आया और मेरे फोन पर बात भी नहीं करता था तथा जिस दिन मैं अपनी घर से गयी और जब तक पुलिस ने उसे संरक्षका में रखा मेरे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई।'' इसके बावजूद पुलिस द्वारा विधि विरूद्ध बालक को झूठा फंसा दिया गया। पीड़िता का बयान धारा 161 व 164 सीआर–पी.सी. में कोई भिन्नतायें हैं तथा दोनों बयानों में विधि विरूद्ध बालक के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। विधि विरूद्ध किशोर 15 वर्ष का है जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2023 को किशोर अपचारी घोषित किया गया है तथा वह दिनांक 29.03.2023 से लगातार सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध है। माननीय किशोर न्याय बोर्ड के पास जो परिवेक्षक अधिकारी की आख्या प्राप्त हुई है उसमें कहीं भी यह तथ्य अंकित नहीं है कि अपीलार्थी/विधि विरूद्ध बालक को जमानत प्रदान की गयी तो उसके ज्ञात व ज्ञात अपराधी के सम्पर्क में आने की पूर्ण सम्भावना है अथवा वह नैतिक, भौतिक व मनोवैज्ञानिक खतरे से आच्छन्न होगा अथवा उसे जमानत दिये जाने से न्याय का उद्देश्य विफल होगा। अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.07.2023 निरस्त करते हुए विधि विरूद्ध बालक को उचित जमानतों पर रिहा किया जाए।

(3) अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजिका श्रीमती भावना गुप्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) श्री प्रदीप कुमार साहू तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार गुप्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रस्तुत अपील में संलग्न समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन एवं विद्वान अवर न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

(4) प्रार्थी/अपीलार्थी के सम्बन्ध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.07.2023 के अनुसार वर्तमान में किशोर रा0 सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) कानपुर नगर में निरूद्ध चल रहा है। किशोर तथा उसके परिजनों का पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, बालक की माता द्वारा अपने संरक्षण में रखने के सम्बन्ध में वचनबद्ध बन्धपत्र दिया गया है तथा भविष्य में किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल न होने देने तथा

समुचित निगरानी करने का आश्वासन दिया गया है।

(5) विधि विवादित बालक द्वारा इस घटना के अतिरिक्त कोई अन्य आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक निगरानी संख्या 2318 सन् 2021, जुवेनाइल 'एक्स' जरिये उसके पिता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2021 में पैरा–16 के अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम–2015 में वर्णित धारा–12 के प्रावधानों को व्याख्यापित करते हुए यह अवधारित किया है कि उक्त प्रावधान से यह विधायिका का आशय परिलक्षित होता है कि विधि विवादित किशोर को अपराध की प्रकृति या अपराध की गम्भीरता जो विधि विवादित किशोर द्वारा कारित किया गया हो, को नकाराते हुए जमानत दिया जाना चाहिए और जमानत देने से सिर्फ तभी मना किया जा सकता है जहां विधि विवादित किशोर को जमानत पर छोड़ने के पश्चात यदि यह तार्किक आधार उपलब्ध हो कि वह जमानत पर छूटने के उपरान्त किन्हीं ज्ञात अपराधियों की संगति में पड़ सकता है या वह नैतिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित हो सकता है या उसके जमानत पर छोड़ने से न्याय का उद्देश्य विफल होता हो। अपराध की गम्भीरता स्वयं में कोई उपर्युक्त आधार नहीं हो सकता। मात्र विधि विवादित किशोर को किशोर न्याय अधिनियम–2012 की उपधारा 1 में वर्णित तीन परिस्थितियों में से यदि कोई परिस्थिति रहती है तब विधि विवादित किशोर को जमानत पर छोड़े जाने से वंचित किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैरा–17 में यह व्याख्यापित किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत जमानत देने के तीन अपवादों में से एक अपवाद यह है कि यदि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि विधि विवादित किशोर को जमानत पर छोड़ने पर वह किसी ज्ञात अपराधियों की संगति में पड़ सकता है और इस सम्बन्ध में धारणा बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष पर्याप्त आधार होना चाहिए और यह सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता कि विधि विवादित किशोर को छोड़ने से वह किन्हीं ज्ञात अपराधियों की संगति में पड़ जायेगा जब तक इस सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया विधि विवादित किशोर और ज्ञात अपराधियों के मध्य कोई दुरभिसन्धि का प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 24 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किशोर न्याय बोर्ड को उक्त अधिनियम की धारा 3 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अन्तर्गत वर्णित मूलभूत सिद्धांतों विधि विवादित किशोर की देखभाल एवं संरक्षण हेतु प्रदत्त, से मार्गदर्शक होना हो उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है कि किसी भी बच्चे को किसी दुर्भावना या आपराधिक आशय से 18 वर्ष तक की उम्र तक निर्दोष माना जायेगा तथा सभी मनुष्यों को समानता समान सम्मान व अधिकार से व्यवहारित किया जायेगा। विधि विवादित बालक के विरूद्ध सभी निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर लिये जायेगे कि वे सारे निर्णय उक्त बालक के हित एवं उसके पूर्ण विश्वास के लिए सर्वोत्कृष्ट हो। यह कि विधि विवादित किशोर के देखभाल, पालन–पोषण एवं संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके नैसर्गिक परिवार पर दत्तक माता–पिता पर होगी। विधि विवादित बालक के विरूद्ध किसी भी प्रक्रिया में विवादास्पद या अभियोगात्मक/दोषारोपणात्मक शब्दों का

इस्तेमाल नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक विधि विवादित बालक का यह अधिकार होगा कि पहचान एवं विश्वसनीयता को अपने सारे साधनों से न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित एवं संरक्षित रखे और इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत अवधारित/व्याख्यापित करते हुए प्रस्तुत मामले में विधि विवादित किशोर को उसके प्राकृतिक संरक्षक/पिता की संरक्षकता में धारा 302, 34 भा0दं0सं0 में जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय के पैरा–29 में यह आदेशित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नजीर शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (2020) 2 एस0सी0सी0 787 में अवधारित विधि के अनुसार विधि विवादित बालक की पहचान को किसी भी निर्णय या आदेश में गुप्त रखा जायेगा और खोला नहीं जायेगा।

(6) प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 में दिनांक 23.03.2023 को बताया कि उसके पिता मो0 नफीस हैं। वह मकान नम्बर एच–21 राजीव नगर मछरिया थाना नौबस्ता, कानपुर नगर की निवासी है। दिनांक 20.03.2023 को वह अपने घर फोन से बात कर रही थी जो कि हारून ने उसे फोन दिया था कि उसकी मां ने बात करते समय पकड़ लिया। उसने फोन किया तो हारून से बताया कि उसकी मां उसे मारने को बोल रही है तो हारून ने कहा कि सलमान को भेज रहा हूं। हारून ने सलमान को रात 08:00 बजे मछरिया बाजार से गयी। सलमान उसे रामादेवी चौराहे पर छोड़ गया। वह पूरी रात रोती रही फिर सुबह सलमान ने उसे लेकर उसकी फ्रेण्ड के यहां छोड़कर चले गये और हारून और सलमान ने अपना सिम तोड़ दिया फिर उसने हारून के पास फोन किया तो हारून ने कहा कि दो–तीन दिन इधर–उधर काट लो, हम आ रहे हैं। फिर सलमान से बात किया कि हारून भाई आ जाओ वह कोर्ट मैरिज करवा देगा। हारून ने उससे पैसा जो किश्त के रखे थे, छीन लिये थे और उसकी सहेली के घर सलमान ने छोड़ दिया। दिनांक 23.03.2023 को वादिनी रेशमा बानो ने अपने बयान में बताया कि उसकी पुत्री बिना बताये घर से चली गयी थी जिसके सम्बन्ध में उसके पति ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। दिनांक 23.03.2018 को उसकी बेटी स्वयं घर वापस आ गयी। प्रस्तुत मामला अपराध अन्तर्गत धारा 363, 368 एवं 120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत है जिसमें अधिकतम दण्ड सात वर्ष तक है। पुनः जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध बालक के सम्बन्ध में दिनांक 04.07.2023 को इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है कि विधि विवादित बालक व उसके परिजन का कोई पूर्व का आपराधिक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। उसकी माता द्वारा अपने संरक्षण में रखने के सम्बन्ध में वचनबद्ध शपथपत्र दिया गया है तथा भविष्य में किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल न होने देने तथा समुचित निगरानी करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार यदि उक्त विधि विवादित किशोर को जमानत पर रिहा किया जाए तो उससे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में वर्णित परन्तुक की शर्तो के उल्लंघन की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्वान अवर न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः इसी क्रम में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आलोच्य आदेश

दिनांक 05.07.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विधि विवादित बालक की उम्र घटना के समय 14 वर्ष 08 माह 10 दिन थी तथा उसकी भूमिका मात्र अन्य सह अभियुक्त के साथ पीड़िता को व्यपहृत करने की है। विधि विरूद्ध बालक दिनांक 29.03.2023 से लगातार राजकीय सम्प्रेषण गृह (किशोर) कानपुर नगर में निरूद्ध है और लगभग साढ़े तीन माह का समय पूर्ण हो चुका है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में विधि विवादित बालक की माता द्वारा अपने संरक्षण में जमानत पर छोड़े जाना न्यायसंगत है एवं प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी/विधि विरूद्ध किशोर मो0 हारून की ओर से उसके प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती परवीन द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 80 सन 2023 अन्तर्गत धारा 101 किशोर (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी/विधि विरूद्ध बालक की माता श्रीमती परवीन की तरफ से मु0 1,00,000/–(रूपया एक लाख मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए कि, अपीलार्थी/विधि विरूद्ध बालक की माता के संरक्षण में बोर्ड के समक्ष लम्बित जॉच की अग्रिम प्रत्येक तिथियों पर उसकी उपस्थित सुनिश्चित करेंगी। उसकी देखभाल करते हुए उसे अपराधियों की संगत से दूर रखेंगी। उसे किसी आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं होने देंगी तथा उसके क्रियाकलापों पर निगरानी रखेंगी। उपरोक्त शर्तो के खण्डित होने की स्थिति में किशोर न्याय बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह विधि विरूद्ध बालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसकी जमानतें निरस्त कर देगा।

आदेश की प्रतिलिपि किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली पर रखकर, पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की जाए। तलब की गई पत्रावलियॉ सम्बन्धित न्यायालय को वापस की जाए।

दिनांकः–15–07–2023

(सुरेन्द्र पाल सिंह)
अतिरिक्त विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13
कानपुर नगर।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–15–07–2023

(सुरेन्द्र पाल सिंह)
अतिरिक्त विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13
कानपुर नगर।